छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
<u>महानदी भवन, नया रायपुर</u>

क्रमांक 9623 /2016/38–2 रायपुर, दिनांक 07 /12/2016
प्रति,

कुलसचिव,
समस्त शासकीय एवं अशासकीय विश्वविद्यालय,
छत्तीसगढ़

विषय :— पुर्नमूल्यांकन अंतर्गत 5 प्रतिशत अंतर को भी मान्य करने बाबत् ।

विषयांतर्गत दिनॉक 22.11.2016 को माननीय मंत्रीजी के द्वारा समस्त कुलसचिवों एवं अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यो की ली गयी बैठक में हुई चर्चा का स्मरण करने का कष्ट करें। बैठक में निर्देशित किया गया था कि प्रदेश के छात्र–छात्राओं के हित में पुर्नमूल्यांकन में यदि 5 प्रतिशत अंकों का अंतर आता है तो भी मान्य करते हुए तद्नुसार इसका लाभ छात्र–छात्राओं को दिया जावे।

अतः निर्देशानुसार इस संबंध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें एवं आवश्यक हो तो संबंधित परिनियम/अध्यादेश में भी आवश्यक संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय का लाभ छात्रों को आगामी परीक्षा सत्र से दिये जाने हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

कृपया की गई कार्यवाही से विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

(डॉ0बी0एल0अग्रवाल)
प्रमुख सचिव
छ0ग0 शासन
उच्च शिक्षा विभाग

पृष्ठां0क्रमांक 9624 /2016/38–2 नया रायपुर, दिनांक 07/12/2016
प्रतिलिपि :—

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजभवन, रायपुर,
2. प्रमुख सचिव, मान0 मुख्यमंत्रीजी, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर,
3. विशेष सहायक, मान0 मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर,
5. कुलपतिजी, समस्त शासकीय एवं अशासकीय विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़,
6. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर,
7. समस्त क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा को सूचनार्थ,
8. प्राचार्य, समस्त अग्रणी महाविद्यालय, छत्तीसगढ़

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

प्रमुख सचिव
छ0ग0 शासन
उच्च शिक्षा विभाग

Gen.Letter- Burde,PA.doc

Scanned by CamScanner